संख्याः 292/68–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल, 2020

विषय–देशव्यापी महामारी कोविड–19 के आलोक में प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत मूलभूत जल एवं स्वच्छता (WASH) तथा अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमन्त्री जी द्वारा जून 2018 में *"ऑपरेशन कायाकल्प"* का शुभारम्भ किया गया तथा तद्सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग द्वारा शासनादेश ***संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक–30 अक्टूबर 2019 (संलग्नक–1)*** के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में ग्राम पंचायत की निधियों से मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को संतृप्त किये जाने के विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा हेतु **जिला खनिज निधि (DMF)** का प्रमुखता से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग के ***शासनादेश संख्या 2040/68–5–2019, दिनांक 30 जनवरी 2020 (संलग्नक–2)*** द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ***शासनादेश संख्या 226(2)/68–5–2020, 11 अप्रैल 2020 (संलग्नक–3)*** के द्वारा 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के आंकलन/मूल्यांकन के आधार पर विद्यालयों की ग्रेडिंग एवं जनपदो की रैन्किंग सम्बन्धी फ्रेमवर्क के साथ अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण के विवरण सहित विस्तृत दिशा–निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि परिषदीय विद्यालयों को प्रथम चरण में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, बालक एवं बालिकाओं के लिये पृथक–पृथक शौचालय एवं मूत्रालय, शौचालय/मूत्रालय में नल–जल की आपूर्ति एवं टाइलीकरण, दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैन्ड वॉशिंग यूनिट, कक्षा–कक्ष के फर्श का टाइलीकरण, श्याम–पट्ट, रसोईघर, विद्यालय की समुचित रंगाई–पुताई, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैम्प एवं रेलिंग, कक्षा–कक्ष में क्रियाशील विद्युत संयोजन के साथ उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण आदि अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में माह जनवरी–फरवरी 2020 में कराये गये स्थलीय सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों के आधार पर असंतृप्त अवस्थापना सुविधाओं को अभियान चलाकर संतृप्त किया जाना अति आवश्यक है।

3– आप अवगत ही हैं कि कोविड–19 की महामारी में देशव्यापी लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों से आये प्रवासी मजदूरों एवं मिस्त्रियों के द्वारा अपने क्षेत्रों/ग्राम पंचायतो में निवास किया जा रहा है और ***देशव्यापी लॉकडाउन के फलस्वरूप*** व्यावसायिक, आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों का संचालन बाधित होने के कारण प्रवासी दिहाडी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है। इसी सन्दर्भ में शासन द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि श्रमिकों को मनरेगा के अन्तर्गत उनके ग्राम पंचायतों में ही रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये जाएं। उक्त के परिप्रेक्ष्य में **ऑपरेशन कायाकल्प** के अन्तर्गत उक्त मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से परिषदीय विद्यालयों को संतृप्त करने हेतु सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्रवासी दिहाड़ी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इससे मजदूरों/मिस्त्रियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ–साथ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में भी अपेक्षित सुधार होगा।

4– उक्त वर्णित शासनादेशों एवं तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को इंगित अवस्थापना सुविधाओं से समयबद्ध रूप से संतृप्त कराये जाने हेतु तत्काल तीव्र गति से निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सलंग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.प्रमुख सचिव, पंचायती राज, विभाग उ0प्र0 शासन।
2.प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
3.मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4.महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ0प्र0।
5.निदेशक, बेसिक शिक्षा उ0प्र0।
6.मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 2706 /33–3–2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक– 30 अक्टूबर, 2019

विषयः– "ऑपरेशन कायाकल्प" के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 शासन ने शैक्षिक सत्र 2019–20 को 'शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष' के रुप में मनाये जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विद्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करना आवश्यक है। इस संदर्भ में पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कायाकल्प' के सम्बन्ध में समय–समय पर शासनादेश तथा निर्देश निर्गत कर जनपदों को प्रेषित किये गये है, जिनमें परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना कार्य कराये जाने पर निरन्तर बल दिया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत यद्यपि जनपदों द्वारा विद्यालयों अवस्थापना कार्य कराये गये हैं किन्तु अभी तक इनका संतृप्तीकरण नहीं हो सका है और इस दिशा में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के सुधार एवं संतृप्तीकरण हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों के आलोक में आपकी सुविधा हेतु निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैः–

1. ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत चिन्हित किये जाने वाले निर्मितियों/आधारभूत संरचनाओं में प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाये। यद्यपि ग्राम पंचायत में स्थिति अन्य सार्वजनिक भवन, जैसे–पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालय निःसन्देह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं क्योकि इन्ही निर्मितियों में भविष्य के भारत की नीव रची जाती है। परन्तु अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों में ही अवस्थित होते है इसलिये भी परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास सर्वाधिक युक्तियुक्त होगा। विविध स्तर के निर्वाचनों में भी इन्ही संरचनाओं का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसलिए ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयोंको संतृप्त किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उक्त के दृष्टिगत यह उचित होगा कि आगे से 14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/ग्राम निधि/अन्य मद से पोषित ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को संतृप्त किया जाय।

2. ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं, लेकिन उचित है कि पहले चरण में उन कार्यों को पूर्ण किया जाय जो अधिक वरीयता के हैं। अगले चरण/वित्तीय वर्ष में विद्यालयों को एक इकाई मानते हुए वह कार्य कराये जाय जो एक विद्यालय को पूर्ण रुप से कायाकल्पित करने के लिये आवश्यक है। एतद् क्रम में कार्यों के वरीयता क्रम का निर्धारण निम्नवत् किया जाता हैः–

I. ब्लैक–बोर्ड।

II. छात्र–छात्राओं के लिये उनकी संख्या के अनुरुप अलग–अलग शौचालय एवं मूत्रालय की व्यस्था।

III. स्वच्छ पेयजल एवं मल्टीपल हैण्डवॉशिंग सिस्टम की सुविधा एवं जल निकासी का कार्य।

IV. विद्यालय की दीवारों, छत तथा दरवाजे/खिड़की फर्श की वृहद मरम्मत का कार्य तथा यथासम्भव फर्श में टाइल्स लगाया जाना।

Scanned by CamScanner

V. विद्युतीकरण।

VI. किचन शेड का जीर्णोद्वार एवँ सुसज्जीकरण।

VII. फर्नीचर।

VIII. चहारदीवारी एवं गेट निर्माण का कार्य।

IX. इण्टरलॉकिंग, टाइल्स – विद्यालय प्रांगण में।

X. अतिरिक्त कक्षा – कक्ष का निर्माण।

XI. अन्य कार्य– स्थानीय आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त कार्यों के संतृप्तीकरण के संदर्भ में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था बाल–मैत्रिक संरचना के अनुरुप निर्मित किये जाने चाहिए। शौचालय मूत्रालय एवं पेयजल व्यवस्था हेतु संरचनात्मक कार्य के समय दिव्यांग छात्र–छात्राओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी क्रम में विद्यालय का जीर्णोद्वार भी इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी प्रकार की टूट–फूट एवं वृहद मरम्मत एक मुश्त रुप में हो सके। इस सम्बन्ध में निदेशक, पंचायतीराज एवं मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उ0प्र0 के पत्र संख्या–867/2017–5/41/2017, लखनऊ दिनांक–20.05.2017 का परिपालन होना चाहिए।

उपरोक्त में प्रथम तीनों उप बिन्दुओं पर उल्लिखित कार्यों की कार्ययोजना प्रथम चरण में बनायी जाय तथा इसके बाद शेष कार्यों हेतु उपर्युक्त वरीयता क्रम में कार्ययोजना बननी चाहिए। यदि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो तो एक ही बार में उक्त समस्त कार्य कराये जा सकते हैं।

इसी क्रम में यह भी अपेक्षित है कि यदि विद्यालय प्रांगण में कोई अत्यन्त पुराना/जर्जर/निष्प्रयोज्य संरचना/खण्डहर पड़ा हुआ हो तथा जिसका जीर्णोद्वार सम्भव न हो और उसके बने रहने से विद्यालय के बच्चों के लिये असुरक्षा की आशंका बनी हो तो ऐसे जर्जर भवन किसी भी विभाग के हों, तो सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा अनुभाग– 5 के शासनादेश संख्या–128/68–5–2019, दिनांक–28.06.2019 के अनुरुप ऐसे अवशेष को पूरी तरह से बेसिक शिक्षा विभाग के पूर्व प्रेषित नियमों/निर्देशों के अनुसार ध्वस्त कर मलबे को युक्तियुक्त रुप से हटाया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ यदि कहीं नये भवन की आवश्यकता हो तो, इसका प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाये।

3. ऑपरेशन कायाकल्प में किये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना का निर्धारण विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक अपने विद्यालय की उक्त वर्णित आवश्यकताओं के अनुसार मांग–पत्र तैयार कर अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमोदित करायेगें। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी अनुमोदन के पूर्व ध्यान देंगे कि यदि कोई कार्य उक्त विद्यालय में विभागीय स्तर से होना सुनिश्चित हो तो ऐसे कार्य विभाग की निधि से ही हों, कायाकल्प में ऐसे कार्यों की मांग न की जाय। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों के आवश्यक कार्यों सम्बन्धित मांग–पत्र संकलित कर अपने विकास खण्ड के ए0डी0ओ0 पंचायत तथा इसकी एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जनपद के मांग–पत्र को जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम पंचायत स्तर पर विद्यालय विकास योजना के अनुमोदन तथा कायाकल्प योजना के निर्माण के समय उक्त मांगों का गम्भीरता पूर्वक अनुशीलन हो, जिससे कि ग्राम निधि की धनराशि का विवेकापूर्ण प्रयोग हो सके।

निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्र संख्या–8/814/2016–8/56/2017 लखनऊ दिनांक–20.04.2018 एवं संख्या–आर0जी0एस0ए0/201/2017–4/379/2015, दिनांक–20.05.2017 के अनुसार ऑपरेशन कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत ग्राम सभा की खुली बैठक में विद्यालय विकास योजना का अनुमोदन होना चाहिए तथा तदनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत प्लान–प्लस पर अपलोड के पश्चात कार्यों की भौतिक प्रगति **"एक्शनसॉफ्ट"** सॉफ्टवेयर पर तथा **"प्रियासॉफ्ट"** सॉफ्टवेयर पर कार्यों का वित्तीय लेखा–जोखा रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल शौचालय के मरम्मत के कार्य की

Scanned by CamScanner

भौतिक प्रगति दर्शाने हेतु नेशनल एसेट डाइरेक्टरी पर फीड कर स्थिति का अक्षांश–दशांश, मैप किया जाना अनिवार्य होगा।

4. ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्रस्तावित कार्यों का युक्तियुक्त आगणन किया जाना परम आवश्यक है। प्रत्येक कार्य का आगणन युक्तियुक्त हो और आवश्यकता से अधिक धनराशि व्यय न की जाये। इसके लिये विभाग द्वारा जो दर अनुसूची (SOR) निर्धारित है उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। सक्षम स्तर द्वारा तकनीकी अनुश्रवण के बाद ही आगणन अनुमोदित किये जाने चाहिए।

जिस विद्यालय में कायाकल्प योजना के तहत कायाकल्प सम्बन्धी कार्य किया जाय, उसके मुख्य भवन के एक ऐसे भाग पर जहाँ आम व्यक्ति की दृष्टि आसानी से पड़ सके पेन्टिंग कराकर प्रस्तावित कार्य एवं लागत का निम्नवत् उल्लेख किया जायेगा।

1. कायाकल्प में प्रस्तावित कार्यों का वर्ष एवं विवरण.............
2. प्रस्तावित कार्यों की अलग–अलग इकाई लागत.................
3. प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने की सम्भावित तिथि...............

इससे आम जन–प्रस्तावित कार्य एवं उसके व्यय को जान सकेंगे तथा यदि कार्य में अधोमानक प्रतीत हो अथवा अविवेकपूर्ण रूप से अधिक्य वाला आगणन प्रस्तावित हो तो सक्षम स्तर पर इसकी शिकायत की जा सकेंगी।

5. ऑपरेशन कायाकल्प के क्रियान्वयन का सघन एवं सतत् अनुश्रवण आवश्यक है। शासनादेश संख्या–53/2018/1706/33–3–2018–68/2018, पंचायतीराज अनुभाग– 3, लखनऊ दिनांक–20.06.2018 द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के सन्दर्भ में गठित जनपदीय अनुश्रवण समिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनिबार्य रुप से सम्मिलित करते हुए सतत् समीक्षा बैठक हो जिसमें जनपद स्तर पर किये जाने वाले कार्यों की समय–सारिणी एवं दायित्व निर्धारित करते हुए उसका अनुश्रवण किया जाये जिससे कि यथाशीघ्र समस्त परिषदीय विद्यालयों को कायाकल्पित किया जा सके।

6. विद्यालय के प्रांगण का सुदृढ़ीकरण भी कायाकल्प योजना का अंग होना चाहिए। पंचायतीराज अनुभाग– 3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1052/33–3–2018/68/2018, दिनांक– 11.04.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुरुप, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि को युगपित (कन्वर्जेन्स) कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के अनुरुप विद्यालय प्रांगणों का चिन्हांकन करके आवश्यकतानुसार खड़ण्जा/इण्टर–लॉकिंग/सी0सी0रोड निर्माण कार्य अभियान चलाकर किया जाना चाहिए। इसके तहत बच्चों के लिये अपेक्षित खेल–मैदान को छोड़कर संरचनात्मक कार्य किये जायेंगे।

7. सफाईकर्मी द्वारा विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की अनिवार्य रुप से नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित कराया जाना परम आवश्यक है। इस संदर्भ में पंचायतीराज विभाग के नवीनतम परिपत्र संख्या–2/2250/2019–2/43/विविध/2010 लखनऊ, दिनांक–27.07.2019 के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि अपने खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालय स्तर पर सफ़ाई कर्मी द्वारा किये जाने वाले सफाई कार्य का सतत अनुश्रवण कर तथा यदि किसी विद्यालय में सफाई कर्मी द्वारा नियमित सफाई कार्य न किया जाता हो तो जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित कायाकल्प विषयक अनुश्रवण समिति को संज्ञानित कराकर, विहित प्रक्रिया के तहत सम्बन्धित सफाई कर्मी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

- "समग्र शिक्षा अभियान" के तहत परिषदीय विद्यालयों को प्रदत्त कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के निर्देशानुसार उपयोग का अनुश्रवण भी आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विद्यालय को वार्षिक/दैनिक खर्चो के लिये समग्र शिक्षा अभियान के तहत पर्याप्त धनराशि दी जाती है। इसके तहत ऐसे विद्यालय जिनकी छात्र संख्या– 1 से 15 तक है तो रु0 12500/–, छात्र संख्या– 16 से 100 तक है तो रु0 25,000/–, छात्र संख्या– 10 से 250 तक है तो रु0 50,000/–, छात्र संख्या– 251 से 1000 तक है तो रु0 75000/– तथा छात्र संख्या– 1000 से अधिक है तो रु0 1,00,000 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि प्रेषित की जाती है। उक्त धनराशि से किये जाने वाले कार्य, यथा– निष्क्रिय स्कूल उपकरण

Url/d/kresrl/CO

10

Scanned by CamScanner

बदलना, उपभोज्य सामग्री, स्वछता सामग्री, पेन्टिंग कार्य, फर्स्ट–एड–बॉक्स, आदि जैसे अन्य आवर्ती खर्च के साथ–साथ आवश्यकतानुसार विद्यालय में छोटी–छोटी मरम्मतें, आंशिक प्लास्टर, पैच प्लास्टर, फर्श की मरम्मत, खिड़की, चौखट के पल्ले आदि का काम एवं विद्यालय की रंगाई–पुताई का कार्य कराया जाना सम्मिलित है।

पंचायती राज विभाग के माध्यम चौदहवें वित्त आयोग, ग्राम निधि एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध अन्य मदों की धनराशि द्वारा परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, बाउण्ड्रीवाल, गेट, क्रियाशील शौचालय, रनिंग वॉटर की व्यवस्था, सबमर्शिबल पम्प (ओवर हेड टैंक सहित) इण्टरलाकिंग टाइल्स, किचन एवं कक्षा कक्ष तथा बाथरूम में टाइल्स, हैण्डवॉश फैसिलिटी, इण्टरनल विद्युत वॉयरिंग, लाईट–फैन, फर्नीचर, एम.डी.एम. डायनिंग शेड इत्यादि अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं परिषदीय स्कूलों के परिसर में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों का विद्युतीकरण, फ्लोर टाईल्स व शौचालय निर्माण तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल (ऊंचाई न्यूनतम 06 फीट, गेट, भवन, मरम्मत, फर्श टाइल्स) जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को विकसित किया जाय।

यह भी ध्यातव्य है कि उक्त धनराशि केवल ऐसे ही कार्यों के लिये खर्च किये जायें, जिनके लिये किसी अन्य मद से व्यय किये जाने का कोई प्रावधान नही है। किसी दशा में एक ही कार्य के लिये दो मदों से धन का आहरण नहीं होना चाहिये।

उक्त के अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों मे निर्दिष्ट कार्यों का परीक्षण एवं धनराशि का नियमानुसार उपभोग हो रहा है अथवा नहीं इसका भी सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
3. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल उ0प्र0।
4. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उ0प्र0, लखनऊ।
6. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।
7. शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. चीफ फील्ड ऑफिसर,यूनीसेफ, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12. बेसिक शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

002.jpg

(संलग्नक - 6)

संख्या–2040/68–5–2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ, दिनांक: 30 जनवरी, 2020

विषयः **परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा हेतु जिला खनिज निधि (DMF) का प्रमुखता से उपयोग के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के चतुर्दिश विकास हेतु बहुआयामी पहल कर रही हैं। प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा–एक से आठ तक) में सभी प्रकार की अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास इसमें से प्रमुख है।

2– उल्लेखनीय है कि 'उत्तर–प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली 2017' के अनुसार न्यास (जिला खनिज निधि) में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग इसके नियम–17 घ' के अनुरूप विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, सामूहिक शौचालय निर्माण, पेयजल उपबन्ध, व अन्य विद्यालयी कार्यों हेतु किया जा सकता है। इसी प्रकार उक्त नियमावली के नियम–5(3) के अनुसार विद्युतीकरण, स्वच्छता, पेयजल सुविधा, हैण्डपम्प तथा अन्य लोक उपयोगी कार्य भी कराये जा सकते हैं। उक्त क्रम में 'जिला खनिज निधि' का सर्वप्रथम एवं अधिकाधिक अनुप्रयोग जनपद में स्थापित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये किया जाना चाहिये क्योंकि इन्हीं विद्यालयों से देश के भविष्य का निर्माण होता है।

3– कतिपय जनपदों में उक्त मद से प्राथमिक विद्यालयों में उल्लेखनीय अवस्थापनात्मक कार्य कराये भी गये हैं, परन्तु अब आवश्यकता इस बात की है कि सभी जनपदों में इस निधि का प्रमुखता से उपयोग कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों के लिये किया जाये। इस क्रम में आपसे अपेक्षा है कि अपने जनपद में जिला खनिज निधि का प्रयोग प्रमुखता से प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये कराना सुनिश्चित करें।

4– यह भी ध्यातव्य है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम चरण में वे कार्य कराये जाने चाहिये, जो कि अधिक वरीयता के हैं। अगले चरण/वित्तीय वर्ष में विद्यालयों को एक इकाई मानते हुए वह कार्य करायें जो एक विद्यालय को पूर्ण रूप से कायाकल्पित करने के लिये आवश्यक है। एतद् क्रम में कार्यों का वरीयता क्रम निम्न प्रकार से निर्धारित है:–

i- ब्लैक–बोर्ड
ii- छात्र–छात्राओं के लिये उनकी संख्या के अनुरूप अलग–अलग शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था
iii- स्वच्छ पेयजल एवं मल्टीपल हैण्डवाशिंग सिस्टम की सुविधा एवं जल निकासी का कार्य
iv- विद्यालय की दीवारों, छत तथा दरवाजे/खिड़की, फर्श की वृहद मरम्मत का कार्य तथा यथासम्भव फर्श में टाइल्स लगाया जाना।

RJ-G 0.-1518 doc

Scanned by CamScanner

v- विद्युतीकरण
vi- किचन शेड की जीर्णोद्धार एवं सुसज्जीकरण
vii- फर्नीचर
viii- चहारदीवारी एवं गेट निर्माण का कार्य
ix- इंटरलॉकिंग टाइल्स – विद्यालय प्रांगण में
x- अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण
xi- अन्य कार्य

5– उपरोक्त कार्यों के सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि–शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था बाल–मैत्रिक संरचना के अनुरूप निर्मित किये जाने चाहिए। शौचालय, मूत्रालय एवं पेयजल व्यवस्था हेतु संरचनात्मक कार्य के समय दिव्यांग छात्र–छात्राओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। यदि विद्यालय उक्त अवस्थापनात्मक सुविधाओं से संतृप्त है, तो विद्यालय की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य भी कराये जा सकते हैं।

6– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'उत्तर–प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली 2017' के आलोक में परिषदीय विद्यालयों में, जिला खनिज निधि का उपरोक्तानुसार अनुप्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

7– यह आदेश भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

30/11/2021

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. शिक्षा निदेशक(बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
9. जिला खनन अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर–प्रदेश।
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर–प्रदेश।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या- 266(2)/68-5-2020

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. मुख्य विकास अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

बेसिक शिक्षा विभाग

लखनऊ, दिनांक: 11, अप्रैल, 2020

विषयः बेसिक शिक्षा विभाग में अभियान के रूप में चल रहे कार्यक्रमों में विद्यालयों एवं जनपदों की श्रेणी (Ranking) के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा जून 2018 में "ऑपरेशन कायाकल्प" का शुभारम्भ किया गया, जिसके कम में शासनादेश संख्या 2706/33-3-2019, 30 अक्टूबर 2019 (सलंग्नक-1) के द्वारा परिषदीय विद्यालयों में अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित कर आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं से मार्च 2022 तक संतृप्त किया जाना है साथ ही माननीय मुख्यमन्त्री जी के द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2019 को "मिशन प्रेरणा" का शुभारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत छात्र-छात्राओं के द्वारा बुनियादी शिक्षा में निर्धारित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से "प्रेरणा तकनीकि फ्रेमवर्क" सम्बन्धित शासनदेश संख्या 783/68-5-2019 दिनांक 02 सितम्बर 2019 (सलंग्नक-2) को लागू किया गया एवं "मिशन प्रेरणा" के प्रभावी कियान्वयन एवं राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर टास्क फोर्स के गठन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश हेतु शासनादेश संख्या 114/68-5-2020, दिनांक 28 फरवरी, 2020 (सलंग्नक-3) द्वारा निर्गत किये गये है और सम्पूर्ण प्रदेश को "प्रेरक प्रदेश" के रूप में विकसित करने हेतु प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उक्त लक्ष्यों के समयबद्ध प्राप्ति, सघन अनुश्रवण के लिये तथा प्रशंसनीय कार्य करने वाले विद्यालयों और जनपदों के प्रोत्साहन के लिये यह निर्णय लिया गया है कि ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत सृजित मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं एवं मिशन प्रेरणा के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं के बुनियादी शिक्षा में प्राप्त निर्धारित अधिगम स्तर के आधार पर प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों की श्रेणी (Ranking) तैयार की जायेगी और उसी आधार पर जनपदों की श्रेणी (Ranking) भी तैयार की जायेगी। विद्यालयों के श्रेणी निर्धारण में 50 प्रतिशत वरीयता विद्यालय परिसर के मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को एवं 50 प्रतिशत वरीयता छात्र-छात्राओं के Schhol Assesment Test में प्राप्त ग्रेड को दी जायेगी।

1- "ऑपरेशन कायाकल्प" के अन्तर्गत विद्यालयों की मूल्यांकन प्रकिया (Scoring Framework) -

ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में चिह्नित 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओ, जिसमें 11 अवस्थापना सुविधाएँ जल एवं स्वच्छता (WASH) से सम्बन्धित है एवं 7 अवस्थापना सुविधाएँ विद्यालय परिसर एवं कक्षा-कक्ष से सम्बन्धित है, की उपलब्धता एवं वरीयता निर्धारित करते हुये अंक निर्धारित किये गये हैं। विद्यालय की प्रत्येक मूलभूत अवस्थापना सुविधा का अंक निर्धारण प्रेरणा एप के माध्यम से स्वतन्त्र रूप से किये गये जियो टैग सर्वेक्षण के आधार पर

निर्धारित किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधा, निर्धारित अधिकत अंक एवं अंक निर्धारण के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य/ध्यान देने योग्य बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् सारिणी में उल्लेखित किया गया है–

क्रम संख्या	घटक	मूलभूत अवस्थापना सुविधाएँ	निर्धारित अधिकतम अंक	महत्वपूर्ण तथ्य/ध्यान देने योग्य बिन्दु
1	मूलभूत जल एवं स्वच्छता (WASH) सुविधाएँ	शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल	4	➢ राष्ट्रीय मानदण्डो एवं मानक के अनुसार उपलब्धता ➢ बाल मैत्रिक अभिगम्यता ➢ कार्यक्षमता के अनुरूप एवं उपयोग के लिये तैयार। ➢ हर समय प्रयोग किया जा सकने योग्य एवं प्रयोगशील ➢ व्यवहार परिवर्तन संचार का प्रयोग संचालन एवं अनुरक्षण की स्थिति। ➢ समस्त घटकों के अंको का निर्धारण प्राथमिकता के आधार पर
2		बालिका मूत्रालय	3	
3		विद्यालय परिसर में फोर्सलिफट अथवा सबमर्शबिल से नल–जल आपूर्ति	3	
4		मल्टीपल हैन्ड वॉशिंग यूनिट	3	
5		बालक शौचालय	2	
6		बालिका शौचालय	2	
7		बालक मूत्रालय	2	
8		शौचालय/मूत्रालय में नल–जल आपूर्ति	2	
9		शौचालय/मूत्रालय का टाइलीकरण	2	
10		रसोईघर	2	
11		दिव्यांग सुलभ शौचालय	1	
		कुल योग	26	
1	विद्यालय परिसर एवं कक्षा–कक्ष में मूलभूत सुविधाएँ	फर्नीचर एवं डैस्क–बैन्च	8	
2		विद्यालय की समुचित रंगाई–पुताई	4	
3		श्याम पट्ट	3	
4		विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैम्प एवं रेलिंग	3	
5		कक्षा–कक्षा की फर्श का टाइलीकरण	3	
6		कक्षा–कक्षा में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण	2	
7		विद्यालय का विद्युत संयोजन	1	
		कुल योग	24	
महा योग			50	

2- "मिशन प्रेरणा" के अन्तर्गत विद्यालयों की मूल्यांकन प्रकिया (Scoring Framework) -

छात्र–छात्राओं के लर्निंग आउटकम हेतु छात्र–छात्राओं के विषयवार अधिगम स्तर के आंकलन एवं मूल्यांकन हेतु प्रत्येक त्रैमास "स्कूल लेवल असैसमेन्ट टेस्ट" आयोजित कराया जा रहा है। मिशन प्रेरणा के अन्तर्गत प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में छात्र–छात्राओं के लर्निंग आउटकम के मूल्यांकन एवं आंकलन हेतु कक्षा– 03 से 08 के परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन परीक्षाओं के परिणाम (Learning Outcome) के आधार पर विद्यालय में A+, A and B Gades प्राप्त छात्र–छात्राओ की संख्या के आधार पर विद्यालय के प्राप्तांक का निर्धारण निम्नवत् सूत्र (Formula) के आधार पर मूल्यांकित किया जायेगा।

- मिशन प्रेरणा के अन्तर्गत विद्यालय के छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर का मूल्यांकन सूत्र–

= (विद्यालय में A+, A and B Gades प्राप्त कुल छात्र–छात्राओं की संख्या / "स्कूल लेवल असैसमेन्ट टेस्ट" में विद्यालय के कुल प्रतिभागी छात्र–छात्राओं की संख्या) * 50

3- विद्यालयों की स्टार ग्रेडिंग प्रणाली–

उपर्युक्तानुसार ऑपरेशन कायाकल्प के प्राप्तांक तथा मिशन प्रेरणा के प्राप्तांक को संयोजित करते हुये प्राप्त सकल प्राप्तांक (Composite Score) का समेकित प्रतिशत प्राप्तांक दर्शाते हुये उसके आधार पर विद्यालय की स्टार रेटिंग निम्नवत् निर्धारित की जायेगी।

प्राप्तांक प्रतिशत	स्टार रेटिंग	कलर कोडिंग
90% - 100%	***** (5 Star)	हरा
75% - 89%	**** (4 Star)	नीला
51% - 74%	*** (3 Star)	नारंगी
35% - 50%	** (2 Star)	पीला
35% के नीचे	* (1 Star)	लाल

4- जनपदो की रैंकिंग प्रणाली –

प्रदेश के समस्त जनपदों की रैंकिंग उपरोक्तानुसार जनपद में स्थित कुल परिषदीय विद्यालयों के सापेक्ष जनपद में स्थित 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार स्कूलों को निर्धारित भारित अंक (Weighted Score) के आधार पर तय की जायेगी। जैसे–जैसे अभियान में गति आएगी एवं अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा तदनुसार भारित अंक (Weighted Score) में परिवर्तन किया जायेगा और उत्कृष्ट श्रेणी के विद्यालय जैसे 5 स्टार, 4 स्टार के विद्यालयों हेतु भारित अंक को बढ़ाया जाता रहेगा जिससे जनपदों की पारदर्शिता पूर्ण तरीके से तुलनात्मक प्रगति का अध्ययन किया जा सके और अच्छा कार्य करने वाले जनपदों को प्रोत्साहन देने के साथ अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

प्रत्येक श्रेणी के विद्यालय के लिये भारित अंक (Weighted Score) निम्नवत् निर्धारित किये जा रहे है–

स्टार रेटिंग	भारित अंक (Weighted Score)
***** (5 Star)	40
**** (4 Star)	30
*** (3 Star)	20
** (2 Star)	10
* (1 Star)	0
कुल योग	100

उपरोक्त सारिणी में दिये गये निर्धारित भारित औसत अंक को जनपद में स्थित प्रत्येक श्रेणी के स्टार रैंकिंग विद्यालयों की संख्या से गुणा करते हुये जनपद में स्थित कुल विद्यालयों की संख्या से भाग देकर प्रत्येक जनपद की सकल भारित अंक (Composite Weighted Score) को प्राप्त किया जायेगा, जिसका सूत्र निम्नवत् निर्धारित किया जाता है–

Scanned with CamScanner

= [{5 स्टार स्कूलों की संख्या/कुल विद्यालयों की संख्या} * भारित औसत अंक(40) + {4 स्टार स्कूलों की संख्या/कुल विद्यालयों की संख्या} * भारित औसत अंक(30) + {3 स्टार स्कूलों की संख्या/कुल विद्यालयों की संख्या} * भारित औसत अंक(20) + {2 स्टार स्कूलों की संख्या/कुल विद्यालयों की संख्या} * भारित औसत अंक(10)]

5- उपरोक्तानुसार सूत्र के आधार पर की गयी गणना के अनुसार वर्तमान में जनपदों की श्रेणी (Ranking) की अद्यावधिक सारिणी (Chart) उक्त शासनादेश के साथ संलग्न (सलंग्नक–4) की जा रही है। साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त जनपदों में निर्धारित 18 अवस्थापना सुविधाओ के प्रतिशत संतृप्तीकरण की अद्यावधिक सारिणी (सलंग्नक–5) एवं मिशन प्रेरणा के अन्तर्गत "स्कूल लेवल असैसमेन्ट टेस्ट–प्रथम" में छात्र–छात्राओं द्वारा प्राप्त ग्रेड्स के औसत के आधार पर जनपदों की स्थिति की अद्यावधिक सारिणी (सलंग्नक–6) भी आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु सलंग्न की जा रही है।

उक्त मूल्यांकन/ग्रेडिंग प्रणाली का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये उक्त दोनो घटाकों के अन्तर्गत लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिये तथा अच्छा कार्य करने के लिये सभी विद्यालयों में एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा का वातावरण सृजित कराया जाना सुनिश्चित करे।

सलंग्नक– उक्तानुसार।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
बेसिक शिक्षा।

पृ0सं0:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
5. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
6. शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पंचायत), उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
11. चीफ फील्ड ऑफिस, यूनिसेफ, लखनऊ को उनके समर्थित जनपदों में जल एवं स्वच्छता व शिक्षा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्षमता संवर्द्धन एवं तकनीकि सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से।
12. गार्ड फाइल।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।